FORM No. III
APP-A
Crime-I
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत...सहायक कलक्ट्रर मुकाम....खींवसर

नारायणराम बनाम बालुराम
वगैरह

नं....50.........सन्..2019.

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम की तामील में जारी हुए
	30.05.2019	

प्रार्थी ने जरीये वकील अप्रार्थीगण के विरूद्व राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट के तहत प्रस्तुत किया।

वकील प्रार्थी ने उक्त प्रा.पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया की उक्त प्रकरण अर्जेन्ट नेचर का है इसलिए अप्रार्थीगण को नोटिस जारी करने से पूर्व हमें एक पक्षीय सुना जावे। अतः वकील प्रार्थी को एक पक्षीय सुना गया। तथा पत्रावली पर मौजुद रेकर्ड का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थीनी अनुसार वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीनी रिकॉर्डिड सहखातेदार है

अतः प्रार्थी का प्रा.पत्र दर्ज रजिस्ट्रर हो। आगामी पेशी तक बहक अप्रार्थीगण के विरूद्व अतंरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आश्य कि जारी की जाती है कि मौजा नन्दवाणी के विवादीत खेत ख.न. 133 रकबा 10 बिश्वा गै. मु. बाड़ा, ख.न. 134 रकबा 13 बिश्वा, ख.न. 135 रकबा 109 बीघा, ख.न. 136 रकबा 29.13 बीघा, ख.न. 137 रकबा 23.18 बीघा, ख.न. 143 रकबा 12.18 बीघा, ख.न. 144 रकबा 10.08 बीघा, कुल 187 बीघा में प्रार्थी के हक हिस्से एवं कब्जे काश्त तक अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार की दखलदांजी, हस्तान्तरण, बैचान, रहन ना किया जावे। मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति रखी जावे।

नोटः— उक्त अतंरिम अस्थाई निषेधाज्ञा DILRMP पर प्रभावी नहीं होगा एवं उक्त अतंरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी तक ही प्रभावी रहेगा।

अप्रार्थीगण को जरीये नोटिस से तलब किया जावें अप्रार्थीगण असालतन या वकालतन जरीये जबाव प्रस्तुत करें अन्यथा एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जावेंगी। मिशल वास्ते जबाव हेतु दिनांक 09.07.2019 पेश हो ।

सहायक कलक्ट्रर
खींवसर

7/8

पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित

पीठासीन अधिकारी की मीटिंग में/भ्रमण/ ... अवकाश पर गये हुए ... समक्ष दिनांक 17/10/19 को प्रस्तुत हो।

12/10

पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित

... मीटिंग में/भ्रमण/ ... अवकाश पर गये हुए ... समक्ष दिनांक 3-12 को प्रस्तुत हो।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
16/11/22	पत्रावली पेश हुई। [illegible] [illegible] वादी एवं प्रतिवादीगण की तलबी के लिये वकीलवादी को अंतिम [illegible] दिया गया था। उसके उपरान्त भी आदिनांक तक वकीलवादी ने तलबी पेश नहीं की। अतः तलबी हेतु बार-बार अवसर दिये जाने के बावजूद भी वकीलवादी ने तलबी पेश नहीं इसलिये उक्त प्रकरण आदेश 9 नियम 8 के तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद आवश्यक दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) खींवसर